भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. Of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बाड़मेर, कार्यालय : जे- 2/2, मालानी कर्मचारी कॉलोनी, बलदेव नगर, एन.एच.-15, बाड़मेर-344001 (राज.)
Project Implementation Unit, Barmer, Office, J - 2/2, Malani Karamchari Colony, Baldev Nagar, NH-15, Barmer – 344001(Raj.)
ई-मेल/Email :- piubarmer@nhai.org दूरभाष/Tel. & Fax : 02982-227100

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

क्रमांकः भाराराप्रा / प.का.ई.बाड़मेर / हवाईपट्टी / 2019–20 / 4878 दिनांक 03.06.2018

प्रेषित :–

उप वन संरक्षक
बाड़मेर

विषय : राजस्थान राज्य में जैसलमेंर – बाड़मेर सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (पुराना 15) की दूरी पर आपातकालीन लैण्डिंग सुविधा का विकास हेतु 109.740 से किमी 113.445 में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिये विपथन।

सन्दर्भ : कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक F14()2018/FCA/PCCF/CCFEDA-1 Dated 30.01.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य में जैसलमेंर बाड़मेर खण्ड पर आपातकालीन लेण्डिग सुविधा के निर्माण हेतु किमी 109.740 से किमी 113.445 में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दी गई टिप्पणीयों की पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. बिन्दु संख्या 01 के क्रम में निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
2. बिन्दु संख्या 02 के क्रम में निवेदन है कि इस कार्यालय के प्रतिनिधि को नियुक्त कर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर भिजवाकर उक्त प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेज / वचनबद्वताओं में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

अतः निवेदन है कि शेष टिप्पणीयों की अनुपालना आपके स्तर पर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

03/06/2018
(नवरत्न)
उप प्रबन्धक (तक.)

Annexure - I

(FORM – I)
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Barmer

No :- F-12( )(01)Rev/2018/ 1896 Dated:- 30-05-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No .11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to the diverted for non – forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.5976 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of ***National Highway Authority of india PIU Barmer*** in Barmer district falls within jurisdiction of Agoriya and Nimbala villages in Shiv Tehsil

It is further certified that:-

(a) The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.5976 hectares of forest area (roadside plantation area) proposed for dirversion. A Copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C

(b) The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls: As above

(Himanshu Gupta)
District Collector, Barmer
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

एनेक्जर - A

ग्राम सभा

ग्राम सभा : ग्राम पंचायत निम्बला

गाँव : निम्बला

दिनाँक : 17-07-2018

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 68 (पुराना न0. 15) के कि.मी. 109.740 से कि.मी. 113.745 पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के विकास हेतु परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (PIU-NHAI) बाड़मेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव निम्बला में सरपंच श्रीमती हरिया देवी... अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न की गई। ग्राम सभा तथा वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दो पर चर्चा की गई।

(1) गैर वन उद्देश्य के लिये बाड़मेर वन प्रभाग के आगोरिया गाँव में 3.4789 हैक्टेयर वन भूमि व निम्बला गाँव में 3.1187 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव PIU-NHAI बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन अर्थात वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (पुराना न0. 15) के कि.मी. 109.740 से कि.मी. 113.745 पर आपातकालिन लैंडिंग सुविधा के विकास करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

(2) उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थो पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार –विमर्श किया गया।

(3) उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" के सभी खंडो पर बैठक में विचार–विमर्श किया गया। विपथन के लिये प्रस्तावित भूमि के चौड़ीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के मौजूदा सड़क के विकास (NH-15) के लिये है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहा है, तथा किसी अनुसूचित जन जाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकारी प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिये, गैर–वन उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण के लिये बाड़मेर वन प्रभाग के आगोरिया गाँव में 3.4789 हैक्टेयर वन भूमि व निम्बला गाँव में 3.1187 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया।

सरपंच हरिया देवी

(हरिया देवी)
सरपंच
ग्राम पचायत निम्बला
पं स शिव (बाड़मेर)

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत : निम्बला

जिला : बाड़मेर

दिनाँक : 17-07-2018

एनेक्चर - A-1

Gram Sabha

Gram Sabha: GRAM PANCHAT NIMBLA

Village: – NIMBLA

Date: 17.07.2018

A Gram Sabha meeting organized by Project Implementation Unit, National Highway Authority of India (PIU), Barmer was held at village NIMBLA.... for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old No.15) from km 109.740 to km 113.7445, in the state of Rajasthan under the Chairmanship of Sarpanch Shri/Smt ..HARIYA DEVI..............and in the presence of other members. The Following matters were being discussed in presence of Gram Sabha and Village Forest Committee Members.

1. The application made by PIU-NHAI Barmer regarding diversion of 3.4789 ha of forest land in Aaghoriya village and 3.1187 ha in Nembla village, of Barmer Forest Division for non-forest purpose i.e. for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old NH-15) from km 109.740 to km 113.7445, was elaborately discussed.
2. The motive and implementation of the above diversion proposal was discussion overly and covertly in village committee.
3. In view of above diversion proposal, all section of the "Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of the Forest Rights) Act 2006" has been discussed in the meeting. The Proposed land for diversion is for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old NH-15) from km 109.740 to km 113.7445, and no Scheduled Tribes and no Primitive Dwellers are using land for cultivation, housing or for any other live hood and no Schedule Tribe and no Primitive Forest Dwellers have been granted individual forest right with in that land.

Therefore, it was unanimously passed in the meeting for diversion of 3.4789 ha of forest land in Aaghoriya village and 3.1187 ha in Nembla village, of Barmer Forest Division for non-forest purpose i.e. for Development of Emergency Landing Facility on NH-68 (Old NH-15) from km 109.740 to km 113.7445.

हरि प्यारी देवी
(हरिया देवी)
Sarpanch सरपंच
ग्राम पचायत निम्बला
पं स शिव (बाड़मेर)

Gram Panchayat – NIMBLA

District BARMER

Date 17-07-2018

राजस्थान सरकार

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी शिव

क्रमांक :–राजस्व / अवाप्ति / एन.एच.70 / 2019 / 2815 दिनांक :– 16/5/19

प्रेषित :–

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बाडमेर।

Rev. 17/5/19

विषय :– राजस्थान राज्य में जैसलमेर–बाडमेर सैक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (पुराना 15) पर आपातकालीन लैण्डिग सुविधा का विकास हेतु 109.740 से किमी 113.445 मे वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजना के लिये विपथन।

प्रसंग :– आपका पत्रांक प12()(1) / राजस्व / 2018 / 4048–51 दिनांक 20.06.2018।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में राजस्थान राज्य में जैसलमेर– बाडमेर सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (पुराना 15) पर आपातकालीन लैण्डिग सुविधा का विकास हेतु ग्राम निम्बला एवं आगोरिया मे क्षेत्रफल क्रमशः 3.1187 हैक्टेयर एवं 3.4789 हैक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र का गैर वानिकी प्रयोजना हेतु ~~आज~~ दिनांक 15.02.2019 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठीक का कार्यवाही विवरण संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक :–राजस्व / अवाप्ति / एन.एच. 68 / 2019 / दिनांक :–

प्रतिलिपि :– श्रीमान परियोजना निदेषक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण प.का.ई. बाडमेर बाडमेर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

Sd
उपखण्ड अधिकारी
शिव

एनेक्चर - B

उपखण्ड स्तर समिति की बैठक दिनांक 15.02.2019 की कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.02.2019 को उपखण्ड कार्यालय शिव में आपातकालीन लैण्ड़िग एयर फील्ड सुविधा हेतु अवाप्त भूमि पर वन भूमि प्रत्यावर्तन कर गैर वानिकी उपयोग के प्रयोजनार्थ वनो के विपथन हेतु उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी षिव की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

1. नानूराम सैनी उपखण्ड अधिकारी शिव
2. अभयसिंह भाटी क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज शिव R.O. Shiv.
3. भुवनेश्वरी परमार विकास अधिकारी प.स. शिव
4. .... खेताराम सदस्य प.स. शिव
5. .... दलपतराम सदस्य प.स. शिव अनुपस्थित
6. श्रीमती कविता देवी सदस्य प.स. शिव अनुपस्थित

समिति की बैठक में उपखण्ड अधिकारी षिव ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत निम्बला के राजस्व ग्राम निम्बला एवं आगोरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (नया 68) के समानान्तर किमी 109. 740 से 113.445 के मध्य कुल 6.5976 हैक्टेयर भूमि में आपातकालीन लैण्डिंग एयर फिल्ड सुविधा का विस्तार किया जाना है। अवाप्ति भूमि के कुछ हिस्सों पर वन विभाग के संरक्षित वन है जिसका प्रत्यावर्तन कर गैर वानिकी उपयोग के प्रयोजन के लिये, वनों का विपथन किया जाने के लिये इस समिति की बैठक आयोजित की गयी है। इस प्रस्ताव पर समिति ने गहनता से विचार कर इस तथ्य की सहमति दी कि आपात स्थिति में उक्त हवाई पट्टी को उपयोग में लिये जाने की आवष्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रस्ताव को सहमति के साथ श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर को भेजा जावें। बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

एनेक्सर - C

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर बाड़मेर

क्रमांक प.12( )(1)राज / 2018 / 1876 दिनांकः– 30/05/19

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी / राज / 6 / 22 / 2015 / एफ.सी. / 200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) के पत्र क्रमांक प.6(14) प्रसु / अनु–3 / 2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 30.05.2019 को श्रीमान् जिला कलेक्टर बाड़मेर की अध्यक्षता में अनसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति बाड़मेर की बैठक रखी गई , जिसमें निम्नाकित अधिकारीगण / सदस्य उपस्थित हुएः–

1 जिला कलेक्टर बाड़मेर ।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।
3 उप वन संरक्षक,बाड़मेर ।
4 श्री किशनलाल जिला परिषद सदस्य
5 श्रीमती मांगी देवी जिला परिषद सदस्य

इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वियन इकाई, बाड़मेर द्वारा जैसलमेर–बाड़मेर सेक्शन पर एनएच 68 (पुरानी एनएच15) पर आपातकाल लैडिंग सुविधा का विकास हेतु 109.740 किलोमीटर से 113.445 किलोमीटर में वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत ग्राम आगोरिया में रकबा 3. 4789 हैक्टयर व ग्राम नीम्बला में रकबा 3.1187 हैक्टयर कुल 6.5976 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जानी है। प्रस्तावित वन विभाग की भूमि उपयोग में लिये जाने हेतु इस जिले के संबधित ग्राम पंचायत की ग्रामसभा, उपखण्ड स्तरीय गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही के विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार बाड़मेर जिले के अधिनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम,2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति / समुदाय के उक्त अधिनियम / नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नही हुआ है, तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकर हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नही रखता हैं ।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वियन इकाई, बाड़मेर द्वारा जैसलमेर–बाड़मेर सेक्शन पर एनएच 68 (पुरानी एनएच15) पर आपातकाल लैडिंग सुविधा का विकास हेतु 109.740 किलोमीटर से 113.445 किलोमीटर में वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत ग्राम आगोरिया में रकबा 3.4789 हैक्टयर व ग्राम नीम्बला में रकबा 3.1187 हैक्टयर कुल 6.5976 हैक्टयर भूमि उपयोग में ली जानी है, के लिये वनभूमि के अनारक्षण हेतु वन क्षेत्रों मे अनसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक,बाड़मेर
(सदस्य)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सदस्य)

जिला कलक्टर,बाड़मेर
(अध्यक्ष)

श्री किशनलाल
जिला परिषद सदस्य
(सदस्य)

मांगी देवी
श्रीमती मांगी देवी
जिला परिषद सदस्य
(सदस्य)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2018/FCA/PCCF/CCFEDS-I Dated 30.1 2019

NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU BARMER के द्वारा बाडमेर जिले एवं वन मंडल बाडमेर में Development of Emergency Landing Facility for Fighter on National Highway No. 68 (Old No. 15) from km 109.740 to km 113.445 of Jaisalmer-Barmer stretch, in the state of Rajasthan के निर्माण कार्य हेतु **6.5976** हेक्टयर वन क्षैत्र के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/32363/2018 पर दिनांक 5 03.2018 को रजिस्टर किया गया है।मुख्य वन संरक्षक जोधपुर द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण किया गया जिनकी टिप्पणी निम्नानुसार है :–

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि पर अधिकारों का निबटारा पूर्ण कर लिये जाने की कार्यवाही विवरण संलग्न नही किया गया है।
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न दस्तावेज/वचनवद्वताओं में प्रस्ताव का नाम, प्रस्ताव संख्या, प्रस्तावित वन भूमि एवं दिनांक अंकित नही है।
3. उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 (III) में वृक्षो की संख्या 1418 दर्शायी गई है जबकि संलग्न सूची अनुसार 1419 वृक्ष है अंतर स्पष्ट किया जाना है एवं ऑनलाईन पार्ट II में 0 से 30 से0मी0 में नेगेटिव वेल्यू दर्शायी गई है जो सही की जानी प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना वर्तमान मॉडल (मॉडल दर 136830.00 प्रति है0) के अनुरूप नही है एवं निर्धारित प्रपत्र में नही है।
5. उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के अतिरिक्त सूचनाओं में एन0पी0वी0 गणना संलग्न नही है।
6. उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के अतिरिक्त सूचनाओं में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही है।
7. उप वन संरक्षक बाडमेर द्वारा पार्ट II के अतिरिक्त सूचनाओं में प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन संलग्न नही है।
8. प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों की इंडेक्सिंग नही की गई है।

अतः मुख्य वन संरक्षक जोधपुर को सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

31/1/19

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR